

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री रामानंद मंडल,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, अररिया ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, अररिया से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे०, पटना, दिनांक.....2-12-14

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री अशोक कुमार प्रसाद,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, सारण ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, सारण से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/14
(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

स्मार
निबंधित डाक

पत्र संख्या-सी०/ए०एस०-50-139/2014...../जे०,

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री विन्देश्वरी रजक,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों में
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, जमुई से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक....., 14

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री गणेशी राम,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अप्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे०, पटना, दिनांक...2...2...7/9

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

२
(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

स्मार
निबंधित डाक

पत्र संख्या-सी0/ए0एस0-50-139/2014...../जे0,

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री खुशीलाल राम,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, खर्गाड़िया ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, खर्गाड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, खर्गाड़िया से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R.(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे0, पटना, दिनांक.....2-12-14

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

2/12/14
(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री जय मंगल प्रसाद,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R.(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....⁹⁰³⁷...../जे०, पटना, दिनांक.....²⁻¹²⁻¹⁴

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

21/11/14

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री मनोज कुमार ठाकुर,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, बक्सर ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, बक्सर से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे0, पटना, दिनांक.....2-12-14

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

2
21/11/14
(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।
21/11/14

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री विशेश्वर राम,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, नवादा ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, नवादा से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

21/11/14
(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री जय प्रकाश मिश्र,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक
अभियोजक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने
स्तर से विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक...../१०३७

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री बच्चू प्रसाद पासवान,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, नालन्दा ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, नालन्दा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, नालन्दा से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक....., 74

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

स्मार
निबंधित डाक

पत्र संख्या-सी0/ए0एस0-50-139/2014...../जे0,

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री अरविन्द कुमार,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे0, पटना, दिनांक.....2-12-14

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

21/11/14

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री राम नारायण राम,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, कैमूर (भभूआ) ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, कैमूर (भभूआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, कैमूर (भभूआ) से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक
अभियोजक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने
स्तर से विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक....., 9037

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

2/21/14/14
(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री अरूण कुमार पंडित,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, कटिहार ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।
2. जिला दण्डाधिकारी, कटिहार से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,


प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक...२-१२-१५

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।


(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री नरेश पासवान,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, भागलपुर ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे०, पटना, दिनांक.....2-12-14/

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

2/12/14

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री सुरेश कुमार प्रसाद,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, पटना ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, पटना से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक...../१

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

21/11/14
(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

स्मार
निबंधित डाक

पत्र संख्या-सी0/ए0एस0-50-139/2014...../जे0,

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

प्रभारी लोक अभियोजक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे0, पटना, दिनांक.....2-12-14

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री उपेन्द्र नाथ बैठा,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे0, पटना, दिनांक.....2-12-14.....,

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री अंजनी कुमार भगत,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, दरभंगा ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।
2. जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री विन्देश्वरी प्रसाद यादव,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, किशनगंज ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, किशनगंज से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....-12-14

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, पूर्णियाँ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।
2. जिला दण्डाधिकारी, पूर्णियाँ से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे०, पटना, दिनांक...2-12-14

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री अमरेन्द्र कुमार,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, सहरसा ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों में
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, सहरसा से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,


प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R.(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....⁹⁰³⁷...../जे०, पटना, दिनांक.....²⁻¹²⁻¹⁴

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।


(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

स्मार
निबंधित डाक

पत्र संख्या-सी0/ए0एस0-50-139/2014...../जे0,

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री मनोज कुमार,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, प0 चम्पारण, बेतिया ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक
अभियोजक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने
स्तर से विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R.(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे0, पटना, दिनांक.....2-12-14

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री सपन कुमार सिंह,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, मधुबनी ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।
2. जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे0, पटना, दिनांक.....2-12-14...../9

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री अशोक चौधरी,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, गया ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९ के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-६५४५, दिनांक-१२.०९.२०१४ के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को १५ (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

२. जिला दण्डाधिकारी, गया से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९ को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-१/प.स.र(विधि)-०९-६९/२०१४-१४९३, दिनांक-२१.०७.२०१४ के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....१०३७...../जे०, पटना, दिनांक...२-१२-१४

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

२
२१/११/१४
(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री भागवत राम,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, सिवान ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, सिवान से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R.(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे0, पटना, दिनांक.....2-12-14

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।



(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री चन्द्रशेखर यादव,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 कं क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे0, पटना, दिनांक.....2-12-14.....

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

स्मार
निबंधित डाक

पत्र संख्या-सी0/ए0एस0-50-139/2014...../जे0,

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री हरि नारायण प्रसाद,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे0, पटना, दिनांक...2-12-14

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री सतेन्द्र कुमार सिंह,
विशेष लोक अभियोजक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, भोजपुर (आरा) ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, भोजपुर (आरा) से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक
अभियोजक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने
स्तर से विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे0, पटना, दिनांक...2-12-14

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री नागेन्द्र कुमार,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, रोहतास, सासाराम ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, रोहतास, सासाराम से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक
अभियोजक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने
स्तर से विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं0सं0-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे0, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

स्मार
निबंधित डाक

पत्र संख्या-सी०/ए०एस०-50-139/2014...../जे०,

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री जामुन दास,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर में
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विधि)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

21/11/14

स्मार
निबंधित डाक

पत्र संख्या-सौ०/ए०एस०-50-139/2014...../जे०,

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री अंजनी कुमार प्रथम,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय ।

पटना दिनांक.....

विषय:- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत
निष्पादित काण्डों के प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभाग के पत्र संख्या-6545, दिनांक-12.09.2014 के क्रम में
आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार अनुरोध करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के विहित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन, जो न्यायालय में लम्बित मामलों से
संबंधित है, को भेजने हेतु विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, परन्तु आपके जिला से संबंधित विषयांकित प्रतिवेदन अबतक
अप्राप्त है।

अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन विधि विभाग को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें
ताकि उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

निबंधित डाक

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
अग्रसारित।

2. जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय से अनुरोध है कि अपने जिला के विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अपने स्तर से
विषयांकित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश देने का कष्ट करें।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...../जे०, पटना, दिनांक.....,

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को उनके पत्रांक-सं०सं०-1/P.C.R(विविध)-09-69/2014-1493, दिनांक-21.07.2014 के प्रसंग
में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.....9037...../जे०, पटना, दिनांक.....2-12-14

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

2
(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।